रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222127
CG-DL-E-30092020-222127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942
No. 485] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 594(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 141(अ), तारीख 26 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 26 फरवरी, 2020 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया जाएगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 134क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 167 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अध्याय ix - नेक व्यक्ति की जांच और परीक्षा

168. नेक व्यक्ति के अधिकार.- (1) ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 134क के अनुसार नेक व्यक्ति है, के जो अधिकार होंगे उनका ब्यौरा इस अध्याय में निहित हैं और उनके साथ किसी भी धार्मिकता,राष्ट्रीयता,जातिगत या लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किए बगैर सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।

(2) एक नेक व्यक्ति, जिसने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जो सड़क दुर्घटना के पीडित को अस्पताल ले गया है, को पुलिस या अस्पताल द्वारा आगे की किसी भी आवश्यकता के लिए रूकने को विवश नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत स्थान छोड़ने की अनुमति होगी।

(3) कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को उनका नाम, परिचय, पता या इस प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

परंतु नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम, पता और घायल व्यक्ति (अगर जानने वाला) का नाम पुलिस अधिकारी को बता सकता है।

परंतु इसके अतिरिक्त, यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम या व्यक्तिगत विवरण बताता है, तो पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने का विकल्प पूरी तरह से नेक व्यक्ति पर निर्भर करेगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक नेक व्यक्ति, जो किसी दुर्घटना पीडित को अस्पताल पहुंचाता है, को निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा:

(क) चिकित्सीय- विधि मामला प्ररूप के प्रयोजनार्थ सहित कोई भी व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे उसका नाम, टेलीफोन नंबर और पता बताने के लिए;

(ख) घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए; या

(ग) किसी घायल व्यक्ति के उपचार का चिकित्सीय व्यय वहन करने के लिए।

परंतु यदि नेक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना नाम बताया है और यदि वह ऐसा करने की इस प्रकार वांछा करता है, तो अस्पताल अपने आधिकारिक पत्र में ऐसे नेक व्यक्ति का नाम, पता, दुर्घटना का समय, तिथि, स्थान और यह पुष्टि करते हुए कि घायल व्यक्ति को उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा लाया गया था, के रूप में अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

परंतु इसके अतिरिक्त एक नेक व्यक्ति, जो दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाना चाहता है, तो वह जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए अपने नाम और पते के अलावा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने की रजामंदी भी प्रकट कर सकता है।

(5) प्रत्येक अस्पताल को प्रवेश या सुस्पष्ट स्थान पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक अधिकार-पत्र सार्वजनिक करना होगा, जिसमें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियम नेक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया गया हो।

169. नेक व्यक्ति की परीक्षा. - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामले में स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी बनने को सहमत है, जिसमें उसने एक नेक व्यक्ति की भूमिका अदा की है, तो उसकी परीक्षा इस नियम के उपबंधों के अनुरूप की जाएगी।

(2) नेक व्यक्ति की पूछताछ उनकी सुविधानुसार समय और स्थान, जैसे आवास या कार्य के स्थान, पर की जाएगी और तदनुसार अन्वेषण अधिकारी सादे कपडों में होंगे।

परंतु नेक व्यक्ति अपनी परीक्षा पुलिस थाने में करवाने का चयन कर सकता है और ऐसे मामले में, पूछताछ बिना किसी अनुचित विलंब के समयबद्ध तरीके से और जहां तक संभव हो एक बार में ही पूरी की जाएगी।

(3) नेक व्यक्ति के मामले में अन्वेषण अधिकारी की भाषा या संबंधित अधिकारिता की स्थानीय भाषा के सिवाय कोई भाषा बोलता है, अन्वेषण अधिकारी दुभाषीया की व्यवस्था कराएगा ।

(4) यदि नेक व्यक्ति स्वेच्छा से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनना चाहता है, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 296 के अनुरूप उनका साक्ष्य शपथ-पत्र पर देने की अनुमति दी जाएगी।

IndiaCode

परंतु पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां तक संभव हो पूछताछ के दौरान एक ही बार में नेक व्यक्ति का पूरा बयान या शपथ-पत्र दर्ज किया जाए।

(5) यदि नेक व्यक्ति की उपस्थिति के मामले में, अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपस्थित नहीं हो सकता अथवा उसकी परीक्षा उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं होता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 284 के उपबंधों के अनुसार इसके अधीन किए गए आवेदन पर परीक्षा आयोजित के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है"।

(6) ऐसे नेक व्यक्ति के उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए उस नेक व्यक्ति जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का चयन करता है की परीक्षा के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा।"।

[फा. सं. आरटी-16011/1/2015-आरएस]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3,उप- खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. 584(अ), तारीख 23.09.2020 द्वारा पिछली बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

G.S.R. 594(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 141(E), dated the 26th February, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 26th February, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 134A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2020.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 167, the following chapter shall be inserted, namely:-

"Chapter IX- Examination of Good Samaritan and Enquiry

168. Rights of Good Samaritan. - (1) Any person who is a Good Samaritan, as per section 134A of the Act, shall have the rights detailed under this chapter, and shall be treated respectfully without any discrimination on the grounds of religion, nationality, caste or sex.

(2) A Good Samaritan who has informed the police of any accident involving a motor vehicle, or who has transported a victim of an accident involving a motor vehicle to the hospital, shall not be subjected to any further requirements by the police or the hospital, and shall be permitted to leave immediately.

(3) No police officer or any other person, shall compel a Good Samaritan to disclose his name, identity, address or any such other personal details:

Provided that the Good Samaritan may voluntarily choose to disclose his name, address, and name of the injured person (if known) to the police officer:

Provided further that, if the Good Samaritan has voluntarily disclosed his name or personal details, the police officer shall not compel such person to become an eye-witness in the case, and choice of becoming an eye-witness shall solely rest with the Good Samaritan.

(4) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a Good Samaritan who transports a victim of an accident involving a motor vehicle to the hospital shall not be forced to,

(a) disclose any personal information, such as his name, telephone number and address, including for the purpose of the Medico-Legal Case Form;

(b) fulfil any procedure related to the admission of an injured person or victim at the hospital; or

(c) bear any medical expenses towards the treatment of an injured person or victim:

Provided that in case the Good Samaritan has volunteered his name, and if he so desires, the hospital shall provide an acknowledgement to such Good Samaritan, on official letter-pad, mentioning the name of the Good Samaritan, address, time, date, place of occurrence, and confirming that the injured person was brought by the said person:

Provided further that, a Good Samaritan who has witnessed the accident and volunteers to become an eye-witness may, in addition to his name and address, also indicate his willingness to become an eye-witness in order to facilitate the investigation process.

(5) Every public and private hospital shall publish a charter in Hindi, English and vernacular language, at the entrance or other conspicuous location, and on their website, stating the rights of Good Samaritans under the Act and the rules made thereunder.

169. Examination of Good Samaritan. - (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, if a person has voluntarily agreed to become a witness in the case in which he has acted as a Good Samaritan, he shall be examined in accordance with the provisions of this rule.

(2) The examination of a Good Samaritan shall be conducted at a time and place of his convenience, such as his place of residence or business, and the investigating officer shall accordingly be dressed in plain clothes:

Provided that the Good Samaritan may choose to have his examination done at the police station, and in such case, the examination shall be conducted in a time bound manner without causing undue delay, and as far as possible, completed in a single examination.

(3) In case the Good Samaritan speaks a language other than the language of the investigating officer or the local language of the respective jurisdiction, the investigating officer shall arrange for an interpreter.

(4) In case the Good Samaritan has volunteered to become an eye-witness, he shall be permitted to give his evidence on affidavit in accordance with the provisions of section 296 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974):

Provided that the affidavit of the Good Samaritan, if filed, shall be treated as complete statement, and in case a statement is to be recorded, the complete statement shall be recorded in a single examination.

(5) In case the attendance of a Good Samaritan cannot be procured without delay, expense or inconvenience, which under the circumstances of the case would be unreasonable, or the examination is unable to take place at a time and place of his convenience, the Court or the Magistrate may dispense with such attendance and may issue a commission for the examination of

the Good Samaritan in accordance with the provisions of section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to conduct the examination, on an application made thereunder.

(6) Video conferencing shall be used extensively during examination of Good Samaritans who choose to be eye-witnesses, in order to prevent harassment and inconvenience to such Good Samaritans.".

[F. No. RT-16011/1/2015-RS]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 584(E), dated 25.09.2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM